दिनांक 25 जुलाई 2011

FOOD SAFETY & STANDARD ACT & RULES, 2011
पर आयोजित कार्यशाला में प्रस्तुत सुझाव

1. नये कानून के अन्तर्गत केवल लाइसेंसधारी ही माल का क्रय-विक्रय कर सकते हैं । इस प्रकार समस्त छोटे-छोटे दुकानदार इस लाइसेंस के अन्तर्गत आ जाते हैं । ये छोटे दुकानदार विभिन्न गलियों, कॉलोनियों तथा गाँव देहातों में अपनी छोटी सी दुकान चलाते हैं एवं उनके लिए लाइसेंस लेना संभव नहीं है । यह लाइसेंस निर्माता, C&F और Distributors तक ही अनिवार्य होना चाहिए । छोटे दुकानदारों को इससे मुक्त रखा जाना चाहिए । आपूर्ति बाधित होने से बाजार में माल की कमी तो होगी ही साथ ही उपभोक्ताओं के लिए महंगाई बढ़ेगी । छोटे दुकानदारों को अपनी दुकान बन्द करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी ।

2. लाइसेंस के अतंर्गत हर साल 31 मई तक रिटर्न देना अनिवार्य है एवं 05.08.2011 से 31.03.2012 तक का रिटर्न विभाग द्वारा मांगा जा रहा है एवं 31 मई के बाद 100 रूपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जा रहा है । यहाँ हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि जब हमें लाइसेंस 31.03.2012 के बाद निर्गत किया जा रहा है तो फिर लाइसेंस के पूर्व का रिटर्न भरना कहाँ तक उचित है । अतः इसको 31.03.2012 के बदले 31.03.2013 तक का रिटर्न मई 2013 में देना अनिवार्य किया जाना चाहिए ।

3. सभी ट्रान्सपोर्टर को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है । यह बिलकुल अव्यवहारिक प्रतीत होता है । इससे माल की डिलेवरी खर्च काफी बढ़ जाएगा एवं गाड़ियों की कमी के चलते परिवहन में भी काफी दिक्कत आएगी ।

4. इस नये कानून के अन्तर्गत निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक Temperature को Maintain करना अनिवार्य किया गया है । भारत वर्ष विभिन्न ऋतुओं का देश है एवं खुले बाजार में Temperature Maintain करना संभव नहीं प्रतीत होता है ।

5. लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है एवं बहुत सारे कागजात की मांग की जा रही है । इसका सरलीकरण किया जाना चाहिए ।

6. अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में सुविधा हेतु कैम्प लगाकर अनुज्ञप्ति निर्गत की जाए । सभी बड़े बाजारों, जिला चैम्बर एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कैम्प लगाया जाए । इसके लिए हम सभी तरह के सहयोग करने के लिए तैयार हैं ।

7. डिब्बा बन्द और सील पैक्ड सामान उत्पादक द्वारा तैयार किया जाता है एवं C&F Distributors और Retailer के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुँचता है । सील बन्द सामान में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर केवल निर्माता को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए C&F, Distributors एवं Retailer को इसके लिए कतई जिम्मेवार नहीं ठहराया जाना चाहिए ।

8. ठेला एवं खोमचावाले को भी लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है एवं उनके लिए 23 शर्ते लागू कर दी गई है जो बिलकुल अव्यवहारिक है । इस पर विचार होना चाहिए क्योंकि उन शर्तों को पूरी करना उनके लिए असंभव है ।

9. लाइसेंस फी छोटे एवं मध्यम व्यवसायियों के लिए बहुत ज्यादा है । इसको युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए ।

10. इस कानून का व्यापक प्रचार–प्रसार नहीं हो पाया है । अतः विज्ञापन एजेंसियों, व्यापारिक संगठनों एवं अन्य माध्यमों द्वारा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करवाया जाए तब–तक इस कानून का परिपालन शिथिल किया जाना चाहिए ।

11. विभिन्न व्यवसायिक संगठनों के साथ एक सलाहकार समिति गठित की जाए और सबों के साथ बैठ कर विचार–विमर्श करके कोई भी निर्णय लिया जाना चाहिए ।

12. जब वैट लागू किया गया था तब यह तय हुआ था कि तकनीकी गलती पाये जाने पर एक साल तक कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं होगी । इसी प्रकार यह व्यवस्था की जाए कि एक साल तक तकनीकी गलतियों में कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की जाए ।

13. The provision of giving guarantee in form E in the cash memo / bill to be exempted in case of distributor or dealer selling the goods, since he is not a manufacturer of the product.

14. **State licensing and Central Licensing List**

Under the Provisions of Food Safety and Standards (Licensing and Regulation of Food Businesses) Regulation 2011 under Regulation 201.3 it has been mentioned that the "Licenses for Food Business which falls under Schedule-I shall be granted by the Central Licensing Authority provided the Food Authority may through notification make such changes or modify the list given in the Schedule I."

&

Under Schedule-I (Regulation 2.1.2 (3)) Point No. IX, the Food Business operator operating in two or more state has to obtain the FSSAI license from the Central Licensing Authority and accordingly Food Business operator operating from other state and from Bihar also, has obtained the license from Central Licensing Authority and informed the State Licensing Authorities.

15. **Documents required for the conversion of PFA license in to FSSAI License.**

Central Licensing Authority in the meeting held in Bihar Industries Association on 21.07.2012 through his presentation told that only four documents is required as listed under Point-1 to 4 under Annexure-2 of Regulation for the purpose of conversion of license under PFA Act in to FSSAI license, whereas the State Licensing Authority demanding the document as listed from Sl. No. 1 to 18 of Annexure-2.

****